होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबन्धन, मुख्यालय, मध्यप्रदेश

परिपत्र–28

क्रमांक /1325 /निस/डीजी/2018 , भोपाल, दिनॉक 30–08–2018

होमगार्ड कैम्प कार्यालय भोपाल एवं मुख्यालय जबलपुर तथा एस0डी0ई0आर0एफ0 मुख्यालय भोपाल में बायोमेट्रिक सिस्टम से उपस्थिति लिये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है जिसके अन्तर्गत समस्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा फिंगर प्रिन्ट के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करायी जा रही है किन्तु जानकारी के अभाव में कुछ अधिकारी/कर्मचारी के मन में आशंका की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है।

(2) इस सिस्टम में प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी का नाम दर्ज किया जावेगा तथा प्रति सप्ताह के शुक्रवार या शनिवार अथवा आवश्यकतानुसार इसका प्रिन्ट निकाला जा सकेगा और समीक्षा कर अग्रिम कार्यवाही हेतु मुख्यालय के कार्यालय अधीक्षक/मुख्य लिपिक के माध्यम से विभागाध्यक्ष के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जावेगा ।

(3) कार्यालयीन समय प्रातः 10:30 बजे से सायः 5:30 बजे तक निर्धारित है किन्तु कई बार परिस्थितिवश अधिकारी/कर्मचारी कार्यालयीन समय पर कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाते है, ऐसी स्थिति में, वे अधिकारी/कर्मचारी जितने समय कार्यालय में विलम्ब से उपस्थित होते है, उतने समय कार्यालयीन समय समाप्त होने अर्थात सायः 5:30 बजे के पश्चात् रूककर शासकीय कार्य संपादित करेंगे ताकि शासकीय कार्य समय पर पूर्ण हो सके। शिफ्‌ट के अधिकारी/कर्मचारी शिफ्‌ट के अनुसार अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे। विलम्ब के लिये माह में कम से कम तीन बार छूट दी जायेगी, तद्‌उपरोन्त अधिकारी/कर्मचारी का विलम्ब के आधार पर क्रमशः आधा या पूर्ण दिवस का अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा ।

(4) यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय विलम्ब से आने का आदी पाया जाता है, तो उसके विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(5) कभी कभार विलम्ब से या बैठक में भाग लेने अथवा भ्रमण पर अपने मुख्यालय के बाहर होने के फलस्वरुप संबधित अधिकारी/कर्मचारी अपने प्रभारी अधिकारी अथवा होमगार्ड मुख्यालय के सीनियर स्टाफ आफीसर /कार्यालय अधीक्षक अथवा एस0डी0ई0आर0एफ0 के मुख्य लिपिक को अपने विलम्ब के संबंध में संसूचित करें।

(6) बायोमेट्रिक प्रणाली देश विदेश के सभी बड़े कार्यालयों में लागू है तथा उक्त प्रणाली से किसी भी अनुशासित एवं समय पर कार्यालय में उपस्थित होने वाले अधिकारी/कर्मचारी को असुविधा नहीं होती है। उक्त प्रणाली का मुख्य उद्‌देश्य विलम्ब से कार्यालय में उपस्थित होने वाले अधिकारी/ कर्मचारी पर नियत्रंण रखना है। उक्त प्रणाली समय पर कार्यालय में उपस्थित होने वाले अधिकारी/ कर्मचारी को हतोत्साहित करने के लिए नहीं है, बल्कि उक्त प्रणाली उनके मनोबल को बढ़ाने में सहायक सिद्व हुई है।

(7) बायोमेट्रिक सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि यह आधार नम्बर से लिंक नहीं है, इसलिए इससे अधिकारी/कर्मचारी के डाटा चोरी एवं धोखा–धडी (Fraud) होने की संभावना नहीं है।

30.8.18

(महान भारत सागर)
डायरेक्टर जनरल
होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं
आपदा प्रबंधन, मध्यप्रदेश

–2–

पृ0 क्रमांक / 1326 /निस/डीजी/2018 , भोपाल, दिनॉक 30–08–2018

प्रतिलिपिः–

1– अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, होमगार्ड, मध्यप्रदेश जबलपुर।

2– अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एस0डी0ई0आर0एफ0 मध्यप्रदेश भोपाल।

3– उप महानिरीक्षक, एस0डी0ई0आर0एफ0 मध्यप्रदेश भोपाल।

4– एडीशनल कमाण्डेंट जनरल, होमगार्ड मध्यप्रदेश जबलपुर।

5– सीनियर स्टाफ आफीसर (स्था0/प्रशि0/वित्त), होमगार्ड मध्यप्रदेश।

6– डिवीजनल कमाण्डेन्ट, होमगार्ड भोपाल/एस0डी0ई0आर0एफ0 मध्यप्रदेश भोपाल ।

7– लेखाधिकारी, होमगार्ड मध्यप्रदेश जबलपुर।

8– जूनियर स्टाफ आफीसर (स्था0/प्रशि0/क्वाटर मास्टर), होमगार्ड मध्यप्रदेश जबलपुर।

9– डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेन्ट, होमगार्ड भोपाल/एसएस0डी0ई0आर0एफ0 भोपाल।

10– कार्यालय अधीक्षक, होमगार्ड मध्यप्रदेश जबलपुर/मुख्य लिपिक एस0डी0ई0आर0एफ0 भोपाल को निर्देशित किया जाता है कि, कार्यालय के समस्त स्टाफ को अवगत करावे।

11– एम0टी0आई0, होमगार्ड मध्यप्रदेश जबलपुर।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(हस्ताक्षर) 30.8.18
डायरेक्टर जनरल
होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं
आपदा प्रबंधन, मध्यप्रदेश

आन्तरिकः–

पी0एस0 टू डी0जी0
स्था0(1)ए/कार्या0प्रमुख/
रिकार्ड शाखा